सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942- सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday , Saka 1942- September 14, 2020*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 14, 2020

संख्या प.2(24)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 15)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 13 मई, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 168क का अंत:स्थापन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) में विद्यमान धारा 168 के पश्चात् और विद्यमान धारा 169 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**168क. विशेष परिस्थितियों में समय सीमा विस्तारित करने की सरकार की शक्ति.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उन कार्रवाइयों के संबंध में, जिनको किसी अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण या जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट, या इसके अधीन विहित या अधिसूचित समय सीमा को विस्तारित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में ऐसी अधिसूचना को किसी भी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की नहीं हो, भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "अपरिहार्य घटना" से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखे, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति द्वारा या अन्यथा कारित किसी भी अन्य आपदा की दशा अभिप्रेत है, जिससे इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 14, 2020

No. F. 2(24)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Dviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 15) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2020

(Act No. 15 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2020)

An
Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 13th May, 2020.

2. Insertion of new section 168A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 168 and before the existing section 169 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new section shall be inserted, namely:-

"**168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act in respect of actions which can not be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the commencement of this Act.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।